



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 12 अप्रैल, 2017

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(कर्मचारियों को उपदान का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2017”

मानव संसाधन सं. L00136691/स्टाफ.सामान्य (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 (जो इसके आगे मुख्य विनियम निर्दिष्ट होगा) में एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधन करता है :—

1. इस विनियम को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकता है।
2. ये संशोधन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे।
3. प्रमुख विनियम के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में वर्णित राशि "₹ 9,00,000/-", को "₹ 18,00,000/-" की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. प्रमुख विनियम के विनियम 9 के उपबंध को हटा दिया गया है।

अजय के. कपूर, उपप्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./20/17]

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
NOTIFICATION**

Lucknow, the 12th April, 2017

“Small Industries Development Bank of India

(Payment of Gratuity to Employees) [Amendment] Regulations, 2017”

HRV No. L00136691/Staff.Gen. (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as Principal Regulations), namely :—

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) [Amendment] Regulations, 2017.
2. These Amendments shall come into force with effect from January 01, 2016.
3. In Clause (a) of sub-Regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations for the figure "Rs. 9,00,000/-", the figure "₹ 18,00,000/-" shall be substituted.
4. In Regulation 9 of the Principal Regulations the proviso shall stand deleted.

AJAY K. KAPUR, Dy. Managing Director

[ADVT. III/4/Exty./20/17]